संख्या- 3580/दो-1-2017-19/1(14)/2016

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ),
उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2017

विषय- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया नियुक्ति अनुभाग-1 के पत्र संख्या-5442/दो-1-2016-19/1(14)/2016, दिनांक 14.10.2016 एवं पत्र संख्या-5726/दो-1-2016-19/1(14)/2016, दिनांक 03 नवंबर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या-F.14021/1/2016-AIS-II, दिनांक 19/22 मई, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 एवं आई0ए0एस0 वेतन नियमावली, 2016 के नियम-7 में संशोधन किये गये हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या- F.14021/1/2016-AIS-II, दिनांक 19/22 मई, 2017 द्वारा किये गये संशोधन को प्रदेश में कार्यरत् भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर राज्य में कार्यरत् भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों हेतु अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-776/दस-2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-संख्या-F.14021/1/2016-AIS-II, दिनांक 19/22 मई, 2017 के क्रम में
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन
5. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव